


31 /12/2014 की स्थिति में अचल सम्पत्ति का विवरण

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह सेवारत है श्री अशोक जी
2. पित/पत्नी का नाम श्री अशोक जी
3. वर्तमान धारित पद डी०डी०
4. वर्तमान वेतन ग्रुप वेतन + डी०डी० + अन्य भत्ते
5. अगली वेतनवृद्धि जुलाई 2015
6. वर्तमान पद का कुल वेतन -

उस जिले, तहसील तथा नाम, जिसमें स्थित हो।	संग्रह प्रान का नाम	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि (आ.व.सी.य प्लॉट एवं कृषि भूमि)	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाये कि किसके नाम पर धारित है, और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसके किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, "पट्टा, बंध, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से, अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से अर्जित वार्षिक आय
1	02	03	04	05	06	07	
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0 auto;">निर्णय</div>							

जहां लागू हो काट दीजिये।
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी :- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1956 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नहीं की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें


 हस्ताक्षर
श्री अशोक जी
 नाम
डी०डी०
 पद